अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति,राजस्थान

13-14, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

दिनांक: 21.08.2024

प्रेस नोट

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 01 अगस्त 2024 के फैसले के विरुद्ध अनुसूचित जाति, जनजाति समाज द्वारा शांतिपूर्ण रहा भारत बंद।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण हेतु पारित फैसला दिनांक 01 अगस्त 2024 से प्रदेश का अनुसूचित जाति, जनजाति समाज आक्रोशित है जिसके कारण सोशल मीडिया पर दिनांक 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान वायरल हो जाने पर अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान द्वारा जयपुर में शांतिपूर्ण रूप से भारत बंद सम्पन्न कराया गया |

बंद के समर्थन में जयपुर में मुख्य रूप से एक सद्भावना मार्च का प्रारम्भ अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग से होते हुए चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, MI रोड होते हुए पुनः रामनिवास बाग में विसर्जित की गयी | इसके पश्चात् अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान के प्रतिनिधि मण्डल ने मांगो के विषय में जिला कलेक्टर को अपना ज्ञापन दिया जिसमे मुख्यतः अनुसूचित जाति-जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण अधिनियम पारित करने उच्चतम व उच्च न्यायालय की सेवा नियमों में संशोधन करते हुए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करके आरक्षण लागू करने, लैटरल एंट्री समाप्त कर उच्च सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने, राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जनसंख्या में बढ़ोतरी के अनुपात में इन वर्गों की आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने, आरक्षण की व्यवस्था पूना पैक्ट के अनुक्रम में संविधान में दी गई है जिसकी मूल भावना पिछडापन के साथ-साथ छुआछूत है | आरक्षण का प्रावधान करने के बावजूद भी इन वर्गों के साथ पूर्ववत व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए क्रीमी लेयर लागू नहीं की जाने, अनुसूचित जाति, जनजाति में उप वर्गीकरण इन वर्गों की एकजुटता को तोड़ने का असंवैधानिक निर्णय है जिसे अध्यादेश लाकर रद्द करने तथा भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध रिव्यू/क्यूरेटिव पिटीशन लगाई जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया गया है |

भारत बंद के दौरान सभी बाजारों को बंद रखने के लिए समस्त व्यापारिक संगठनों,कर्मचारी संगठनों, सामाजिक संगठनों, प्रशासन एवं नागरिकों ने अपना भरपूर में सहयोग दिया जिसका समिति धन्यवाद ज्ञापित करती है |

समिति के प्रतिनिधि मंडल में संयोजक जे.पी विमल IAS से.नि., जसवन्त सम्पतराम IPS से.नि., आर.पी.सिंह IPS से.नि., अनिल कुमार गोठवाल, बी.एल.भाटी, ओटाराम, प्रशांत मेहरड़ा, एच.आर.परमार, जगदीश पावटा, पी.एन.बुटोलिया, एम.एल. बारुपाल, आशाराम मीणा, जी.एल.वर्मा, रघुवीर मीणा, हरसहाय मीना, एडवोकेट हितेश राही, एडवोकेट राजेश मीणा,ईरा बोस, राज टेपन आदि उपस्थित रहे |

जी.एल. वर्मा
प्रेस सचिव
9829688869

जे.पी.विमल IAS(Retd)
संयोजक
अनुसूचित जाति-जनजाति
संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान

सेवा में,

महामहिम राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति भवन, रायसीना मार्ग,
नई दिल्ली-110001

विषय: माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2317/2011 पंजाब राज्य बनाम दविंद्र सिंह में पारित निर्णय को लागू नहीं करने के बाबत।

महामहिम,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हजारों वर्षों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के साथ हुए भेदभाव, छुआछूत, अमानवीय व्यवहार, बेगार, अत्याचार की वजह से अत्यधिक पिछड़ने के कारण इन वर्गों को सामाजिक मुख्य धारा में लाने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 12, 14, 15, 16, 17, 46, 330, 332, 335, 341 एवं 342 इत्यादि का प्रावधान कर इन वर्गों को राज्य की सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का अधिकार दिया है, लेकिन इन अधिकारों को समय-समय पर न्यायालय के माध्यम से निष्प्रभावी करने की कोशिश की है, जिसके कारण संविधान में 77वां, 81वां, 82वां एवं 85वां संशोधन किये गये। इसका नवीनतम उदाहरण माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 2024 को दिया गया निर्णय है | इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संवैधानिक प्रावधानों में हस्तक्षेप किया गया है। उपरोक्त निर्णय का अनुसूचित जाति/जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान घोर विरोध करती है |

महामहिम, अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति व संसद के अलावा अनुसूचित जाति की सूची में किसी तरह के परिवर्तन के लिए कोई अधिकृत नहीं है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संविधान के अनुच्छेद 341 (2) व 342 (2) के तहत किसी जाति एवं जनजाति को सूची में जोड़ा या उसे हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार अपने पूर्ण अध्ययन करके आंकड़ों के साथ अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को भेजनी होती है, संबंधित मंत्रालय राज्य सरकार के प्रस्ताव को भारत के रजिस्ट्रार जनरल, गृह मंत्रालय को भेजता है। यदि सिफारिश आती है तो फिर इसको संबंधित आयोग की अनुशंसा के प्रस्ताव हेतु भेजा जाता है। समस्त दस्तावेजों के साथ यदि आयोग भी अपनी सहमति देता है, तो फिर मंत्रालय द्वारा कैबिनेट में रखा जाता है। यदि कहीं एक से भी असहमति आने पर प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई नहीं होती है। कैबिनेट की अनुमति के बाद ही सूची में संशोधन के लिए संसद में बिल रखा जाता है। संसद से पारित होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद ही संशोधन प्रभावी होता है।

महामहिम, ज्ञातव्य है कि आरक्षण का अधिकार संवैधानिक ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति, जनजाति का दो पक्षों की संधि के तौर पर मौलिक अधिकार है, जो पूना पेक्ट के तहत

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ब्रिटिश सरकार की मध्यस्थता में किया गया था, जो अहस्तक्षेपीय एवं अपरिवर्तनशील है | माननीय न्यायालय द्वारा इस अधिकार के साथ छेड़छाड़ असंवैधानिक है |

अतः अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान महामहिम से मांग करती है कि:-

1. अनुसूचित जाति-जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण अधिनियम आज तक पारित नहीं किया गया जिसे पारित किया जाकर आरक्षण को संविधान की नवीं सूची में डाला जाए, जिससे इनके अधिकारों के साथ भविष्य में छेड़छाड़ नहीं हो |
2. उच्चतम व उच्च न्यायालय की सेवाओं में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य है, संसद की स्थाई समिति के अनुसार वर्ष 2018-23 तक उच्च व उच्चतम न्यायालय में कुल 601 जजों की नियुक्तियां की गयी उनमे से केवल 3% अनुसूचित जाति के एवं 1.5% अनुसूचित जनजाति के थे | इसलिए कानून या सेवा नियमों में संशोधन करते हुए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करके आरक्षण लागू करें ताकि इन वर्गों के न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके |
3. भारत सरकार में उच्च सेवाओं में "लैटरल एंट्री" शुरू की गई है जिसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है अतः उच्च पदों पर लैटरल एंट्री समाप्त कर उच्च सेवाओं में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाएं |
4. सरकार ने कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है, जिससे इन संस्थानों में आरक्षण समाप्त हो गया हैं | इसलिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई हैं, उन संस्थाओं में आरक्षण को यथावत जारी रखा जाए व अन्य प्राइवेट सेक्टर्स में भी आरक्षण को लागू किया जाए |
5. शिक्षा के मौलिक अधिकार को विभिन्न व्यवस्थाओं से लघुत्तम किया जा रहा है, जो अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उत्थान में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है | शिक्षा में गुणात्मक सुधार जैसे शैक्षणिक संस्थानों में भारी फीस से छूट, कोचिंग सेंटर में गुणात्मक सुधार, हॉस्टल व्यवस्था में सुधार, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजने की संख्या में वृद्धि इत्यादि की व्यवस्था की जाए |
6. नाम के आगे जाति लिखने से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग को सभी जगह विषमता/प्रताड़ना होती है | सभी सरकारी संस्थानों में जाति लिखने की परंपरा को सरकारी आदेश द्वारा सख्ती से समाप्त किया जाए |
7. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति का 15% एवं जनजाति का 7.5% आरक्षण का प्रावधान केन्द्रीय सेवाओं में तथा राजस्थान राज्य में क्रमशः 16% व 12% आरक्षण का प्रावधान 1971 की जनगणना के आधार पर किया है लेकिन जनसंख्या में बढ़ोतरी के अनुपात में इन वर्गों की आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए | राजस्थान में वर्तमान में

अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18% एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 14% हो चुकी है, अतः इसी अनुपात में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया जाए |

8. आरक्षण की व्यवस्था पूना पैक्ट के अनुक्रम में संविधान में दी गई है जिसकी मूल भावना पिछडापन के साथ-साथ छुआछूत है | आरक्षण का प्रावधान करने के बावजूद भी इन वर्गों के साथ पूर्ववत व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए क्रीमी लेयर लागू नहीं की जाये |
9. अनुसूचित जाति, जनजाति में उप वर्गीकरण इन वर्गों की एकजुटता को तोड़ने का असंवैधानिक निर्णय है | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संपूर्ण वर्ग को एक मानकर दिया गया आरक्षण भी अभी तक पूरा नहीं हो रहा है और बहुत बड़ा बैकलॉग अभी भी बाकी है जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है | यदि इन वर्गों का उप वर्गीकरण कर दिया गया तो बहुत सी रिक्तियां नहीं भरी जाएँगी और इन्हें सामान्य वर्ग से भरे जाने का प्रयास होगा | अतः अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान इसका विरोध करती है |
10. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन लगाई जाये |

सादर |

भवदीय

अनुसूचित जाति, जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति,
राजस्थान